कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 159/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 27.04.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 27.04.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

पुलिस लाइन आजमगढ़

- **वामा सारथी के तहत अंतर्जनपदीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पुलिस परिवार के 35 बच्चों ने जीते पदक**
- **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को किया गया सम्मानित**

आजमगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में पुलिस परिवार के बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्मरक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु "वामा सारथी" पहल के अंतर्गत दिनांक 25.04.2026 को आयोजित अंतर्जनपदीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में प्रतिभाग कराया गया। उक्त प्रतियोगिता का आयोजन आजमगढ़ ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा न्यू कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फूलपुर में "New Cambridge Sports Cup–2026" के अंतर्गत किया गया, जिसमें लगभग 12 जनपदों के प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ताइक्वांडो कोच आरक्षी सुनील कुमार सिंदे के नेतृत्व में पुलिस लाइन आजमगढ़ से कुल 55 बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिनमें से 35 बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पदक अर्जित किए। प्रतियोगिता में 10 बच्चों ने स्वर्ण पदक, 08 बच्चों ने रजत पदक तथा 17 बच्चों ने कांस्य पदक प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन किया।

प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन द्वारा सम्मानित किया गया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें आगे भी खेल एवं आत्मरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रेरित किया गया।

मेडल प्राप्त करने वाले प्रतिभागी बच्चों का विवरण

☐ **स्वर्ण पदक (10):** शुभा यादव, दीपांशी गुप्ता, सौम्या पटेल, सान्वी यादव, गौरवी गुप्ता, शिवांगी यादव, अभिरित सिंह, आकृति सोलंकर, आर्यन ग्राउंड, याशी यादव

☐ **रजत पदक (08):** आर्या सिंह, राघव रैन, आस्था यादव, आराध्या सिंह, पारिधि गुप्ता, अनुराग यादव, अन्वी यादव, अयात

☐ **कांस्य पदक (17):** हर्षित पांडेय, दीपक पांडेय, सौम्या गौतम, श्रुति गौतम, समृद्धि ओझा, दिव्यांशी यादव, सोनिया यादव, औशिका सिंह, दिव्या यादव, आराध्या सोनकर, आशी सिंह, श्रेया, पारिधि कुमारी, स्वाति निषाद, मनीषा, राज, मोनू

थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

सरकारी कार्य में बाधा व जानलेवा हमले का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आजमगढ़। जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बरदह पुलिस को सराहनीय सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 06.06.2025 को ग्राम बर्रा में मारपीट की सूचना पर पहुंची पीआरवी टीम पर नामजद व अन्य व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर हमला कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई तथा ईंट-पत्थर व लाठी-डंडों से प्रहार कर सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर भी जानलेवा हमला किया

गया, जिसमें थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए। इस संबंध में थाना बरदह पर मु0अ0सं0 161/25 धारा 191(2), 191(3), 3(5), 115(2), 109, 131, 121(1), 121(2), 324(4), 126(2), 117(2) बीएनएस, 7 सीएलए एक्ट व सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त अरविन्द उर्फ निक्कू राजभर का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 117(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

इसी क्रम में दिनांक 27.04.2026 को उ0नि0 सुभाष तिवारी मय हमराह थाना देवगांव द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त अरविन्द उर्फ निक्कू राजभर पुत्र ललई राजभर निवासी ग्राम बर्रा थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ को कोदहरा चौराहे से समय करीब 13.00 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त अभियोग में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. अरविन्द उर्फ निक्कू राजभर पुत्र ललई राजभर निवासी ग्राम बर्रा थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग/अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 161/25 धारा 191(2), 191(3), 3(5), 115(2), 109, 131, 121(1), 121(2), 324(4), 126(2), 117(2) बीएनएस, 7 सीएलए एक्ट व 3(2)(ड) सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 सुभाष तिवारी, का0 कमल चौरसिया का0 विद्याकान्त, रि0का0 मो0 कामरान अंसारी, थाना बरदह, आजमगढ़

थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

• हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

• घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड बरामद, अभियुक्त ने जुर्म किया स्वीकार

आजमगढ़। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेंहनगर पुलिस द्वारा हत्या के एक मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। दिनांक 27.04.2026 को वादिनी श्रीमती संध्या देवी पत्नी रामजी निवासी ग्राम गोपालपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया कि दिनांक 26.04.2026 को समय लगभग 08:30 बजे सायं राहुल पुत्र रामजीत राम निवासी ग्राम गोपालपुर शराब के नशे में गाली-गलौज कर रहा था। वादिनी के पति रामजी द्वारा मना करने पर अभियुक्त द्वारा विवाद करते हुए अपने हाथ में लिए लोहे की रॉड से रामजी के सिर पर जान से मारने की नीयत से प्रहार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार हेतु अस्पताल ले जाते समय लाइफ लाइन हॉस्पिटल के गेट पर ही उनकी मृत्यु हो गई। उक्त प्रकरण में थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0 132/26 धारा 103(1)/352 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

इसी क्रम में दिनांक 27.04.2026 को प्रभारी निरीक्षक निहार नन्दन कुमार मय हमराह का0 संदीप यादव व का0 अनुप द्वारा मुखबिर/सुरागरसी के आधार पर अभियुक्त राहुल पुत्र रामजीत निवासी ग्राम गोपालपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 03:10 बजे उसके घर ग्राम गोपालपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे की रॉड को समय 10:15 बजे बरामद किया गया।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. राहुल पुत्र रामजीत निवासी ग्राम गोपालपुर थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण

1. घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे की रॉड

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 132/26 धारा 103(1)/352 बीएनएस थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. प्र0नि0 निहार नन्दन कुमार, का0 संदीप यादव थाना मेंहनगर, का0 अनुप, आजमगढ़